न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), राम सनेहीघाट, कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–   /2021

CNR No. UPBB180002972021

प्रदीप कुमार आदि   बनाम   लवलेश आदि

23.11.2021

प्रार्थना–पत्र ग–6 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र ग–7 पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया।

प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र ग–6 में वादीगण द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि विपक्षीगण को दौरान मुकदमा किसी भी रूप में विवादित सहन पर अवैध रूप से कब्जा करने से रोक दिया जावे।

वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में विवादित सहन अ ब स द को डामर रोड से सटा हुआ दर्शाया गया है एवं उसका कोई विनिर्दिष्ट परिमाप नहीं दिया है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में व याचित अनुतोष के बावत कोई ठोस अभिलेख के अभाव में, इस स्तर पर बिना प्रतिवादीगण को सुने एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी वांछित पैरवी अन्दर तीन दिन करे। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6 दिनांक 23.12.2021 को पेश हो।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

23.11.2021

प्रार्थना–पत्र ग–10 पर सुना। न्यायहित में स्वीकृत। वादीगण पैरवी करे। बाद पैरवी अमीन को रिट जारी हो। अमीन पक्षकारों को सूचित कर मौके का निरीक्षण करे और अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में दाखिल करे।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।